न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद, जिला – प्रतापगढ

पीठासीन अधिकारी – डॉ. कुलराज मीणा (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 92/2016 दायर दिनांक :– 09–12–2016

निर्णय दिनांक :–01-08-2018

श्री लक्ष्मण पिता बद्दा जाति भील मीणा आयु 45 वर्ष निवासी भूतिया (लखनिया) तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ राज0 – वादी

–:: बनाम ::–

01. श्री नाथू पिता पूनाजी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी लखनिया
02. श्रीमति रामी बाई पत्नि नाथू जाति मीणा आयु वयस्क निवासी लखनिया
03. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जिला प्रतापगढ
04. तहसीलदार अरनोद – प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा0टी0 एक्ट एवं 136 ले0रे0 एक्ट घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व इन्द्राजी दुरस्ती हेतु

उपस्थित :– 1– श्री नन्दलाल मीणा अभिभाषक वादी

–:: निर्णय :–

वादी की ओर से एक वाद तहत धारा 88, 89, 188 आर0 टी0 एक्ट एवं 136 ले0 रे0 एक्ट घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व इन्द्राजी दुरस्ती हेतु विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम लखनीया पटवार हल्का निनोर तहसील अरनोद में नई खाता संख्या 93 की आराजी नम्बर 22 रकबा 0.52 हेक्टेयर पुराने आराजी नम्बर 107 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा स्थित है। साथ में नकल जमाबन्दी संलग्न होकर वर्णित आराजी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी वादी के कब्जे काश्त की होकर पूर्व में यह आराजी वादी के दादाजी श्री लाला जी भील के बडे भाई श्री देवा पिता ऊंकार जी भील निवासी भूतिया (लखनिया) के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की थी तथा देवा जी ही वर्णित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे। देवा जी के कोई जायन्दा पुत्र व पुत्री नहीं होने के कारण उन्होने अपने जीवनकाल में ही वादी के दादा जी लालाजी की स्वीकृति व सहमति से समाज के पंचों के सामने वादी के पिता बद्दा जी को नाबालिग अवस्था में ही आना गोदी पुत्र बना लिया था, जिससे वादी के पिता बद्दा जी देवा जी का गोदी पुत्र के हैसियत से बचपन में ही देवा जी के साथ रहकर उनकी सेवा चाकरी करते आ रहे थे तथा उनकी समस्त चल अचल सम्पत्ति पर वादी के पिता बद्दा जी काबीज होकर देखरेख करते आ रहे होकर वर्णित आराजीयात

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद

के वादी के पिता बद्दा जी देवा जी के जीवनकाल से ही उस पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे, देवा जी के स्वर्गवास के पश्चात वादी के पिता ने ही देवा जी का सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार क्रियाकर्म किया व जाति समाज के रिति रिवाज के अनुसार देवा जी की पगडी भी वादी के पिता बद्दा जी नेही बांधी थी तथा वादी के पिता वादग्रस्त आराजीयात पर देवा जी के जीवनकाल से ही पिछले 50 वर्ष से काबिज होकर शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे तथा वादी के पिता बद्दा जी के स्वर्गवास के पश्चात् वादी बद्दा जी का एक मात्र जायन्दा पुत्र होकर वारीस होने से वादग्रस्त आराजी जी वादी की पैत्रिक पुस्तैनी आराजी है उस पर आज भी शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।

वादग्रस्त आराजयात पूर्व में देवा जी पिता ऊंकार जी भील के कब्जे काश्त एवं खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही होकर वे ही उस पर काबिज चले आ रहे थे लेकिन सेटलमेंट अधिकारियों ने ग्राम भूतिया (लखनिया) तहसील अरनोद का सेटलमेंट किया उस समय सेटलमेंट अधिकारियों ने देवा पिता ऊंकार जी भील के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी जिसके पूर्व नम्बर 107 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा आराजी को सेवन से गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड मे बिलानाम भूमि दर्ज कर दी तथा उसके पश्चात् प्रतिवादी सं0 1 व 2 जो दोनों राजस्व अधिकारियों से मिलाभिगत करते हुए वादग्रस्त आराजीयात को राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से अपने नाम पर दर्ज करवा ली जब कि वादग्रस्त आराजी पर आज भी कब्जा वादी का ही चला आ रहा है तथा वादी के पूर्व वादी के पिता बद्दा जी व उससे पूर्व देवा पिता ऊंकार जी का कब्जा पिछले 50 वर्ष से अधिक समय से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर कब्जे वादी का ही होकर वादी ने वादग्रस्त आराजी की हकाई जुताई कर अभी वर्तमान में फसल भी बो रही है जिससे राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरस्ती की जाकर राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादग्रस्त आराजी नम्बर 22 रकबा 0.52 को वादी के खातेदारी में घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित होने से वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादग्रस्त आराजी वादी की पैत्रिक पुस्तैनी आराजी होकर सेटलमेंट अधिकारियों ने स्व0 देवा पिता ऊंकार जी भील जो वादी के पिता के दत्तक पिता थे उनके नाम से वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होते हुए भी गलत रूप से देवा जी के खातेदारी की आराजी को बिलानाम दर्ज कर दी तथा उसके पश्चात् राजस्व अधिकारियों ने गलत रूप से प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी जबकि मौके पर कब्जा आज भी वादी का ही चला आ रहा है जिससे राजस्व रिकॉर्ड में इन्दाज दुरस्ती किये जाने बाबत वादी ने कई बार प्रतिवादी सं0 4 को कहा लेकिन प्रतिवादी सं0 4 हमेशा टालमटुली का जवाब देते रहते है तथा कहते है कि सेटलमेंट के अधिकारियों के द्वारा गलती की गई है जिसका जिम्मेदार में नही हैं तथा श्रीमान जिलाधीश महोदय जी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होकर सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा की गई गलती को वे ही संशोधन कर सकते हैं, जिससे प्रतिवादी सं0 3 व 4 को वादी द्वारा वाद में पक्षकार बनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी

वादी वादग्रस्त आराजी जो उसकी पैत्रिक पुस्तैनी आराजी है उस पर उसके पिता व दत्तक पिता तथा उसके पश्चात् वादी पिछले 50 वर्ष से अधिक समय से काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे और आज भी वादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तथा वर्णित आराजी देवा जी के खातेदारी में दर्ज थी लेकिन प्रतिवादी सं0 1 व 2 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम दर्ज करा लेने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पिछले एक वर्ष से आये दिन वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा के लिए वादी को धमकी देते रहते है व वादी के साथ गाली गलौच कर लडाई झगडा करते रहते है जिससे प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है कि वह वादी के कब्जा काश्त की आराजी में किसी तरह की दखलअन्दाजी स्वयं नहीं करे न ही किसी अन्य से करावें तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें व वादी को शान्तीपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न न करें न ही किसी अन्य से करावें।

वादी ने कई बार प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी में इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए कहा लेकिन वे टालमटुली करते रहते है तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम गलत रूप से दर्ज होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 व 2 दोंनों ही वादी से वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा करने के आशय से गाली गलौच कर लडाई झगडा करते रहते है तथा वादी ने अपने कब्जे काश्त की आराजी में वर्तमान में फसल बोने के लिए हकाई जुताई कर खाते को तैयार कर रखा है लेकिन प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के द्वारा हाल ही में दिनांक 27–11–2016 को वादी को धमकी दी कि अब वादग्रस्त आराजी पर फसल मत बोना नही तो तेरे हाथ पांव तोड देंगे व जान से मार देंगे तथा उसके बाद से वे लगातार जबरन कब्जा करने के आशय से हथियारों से लैस होकर वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा करने के लिए आते रहते है जिससे वादी को प्रतिवादीगण 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है तथा उन्हें पक्षकार बनाये जाने के पूर्व धारा 80 सी0पी0सी0 के तहत सूचना पत्र देना अति आवश्यक है लेकिन प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के द्वारा दिनांक 27–11–2016 के पश्चात् से निरन्तर रूप से वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने से समयाअभाव में कारण उन्हें सूचना पत्र नहीं दिया जा सका तथा वादी का वाद आवश्यक प्रकृति का होने से व वाद कारण दिनांक 27–11–2016 से निरन्तर पैदा होने से वादी को वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरूद्व पेश करने की दिया जाना न्यायोचित है साथ ही अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सी0पी0सी0 का अलग से भी प्रस्तुत है।

अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे कि –

अ– वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित आराजी वर्तमान खाता सं0 93 की आराजी नम्बर 22 रकबा 0.52 हैक्टेयर पुराने आराजी नं0 107 रकबा 2

उपखण्ड अधिकारी

बीघा 7 बिस्वा में इन्द्राज दुरस्ती की जाकर राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम हटाया जाकर वर्णित आराजी वादी के खातेदारी में घोषित किये जाने की डिक्री वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित की जावे व प्रतिवादीगण 1 व 2 को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी तरह की दखल अन्दाजी स्वयं नही करे, ना ही किसी अन्य से करावे व वाद डिक्री किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हुए। प्रतिवादीगण नोटिस तामिल बावजुद उपस्थित नही हुए। बार बार न्यायालय द्वारा आवाज लगवाई गइ। बावजुद उपस्थित नही हुए। अतः प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं वादी द्वारा एकपक्षीय साक्ष्य शपथ पत्र दस्तावेज प्रदर्श कराये गये व गवाहो के बयान लिखाये गये। प्रतिवादी सं. 3 व 4 को नोटिस तामिल के बावजुद भी जवाब नही दिया गया। जवाब बन्द कर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादी अधिवक्ता द्वारा एकपक्षीय बहस की गई दौरान बहस में बताया कि वादी के अनुसार आराजी नं. 22 रकबा 0.52 हैं0 वादी के कब्जे काश्त में होकर पूर्व में वादी के दादाजी, बडे भाई श्री देवा पिता उंकार भील निवासी भुतिया (लखनिया) के खातेदारी में थी। उक्त तथ्य की पुष्टि वादी द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2029–30 ग्राम लखनिया से होती हैं। इसके अनुसार आराजी नं. 107 रकबा 2 बीघा 7 बीस्वा आराजी देवा पिता उंकार भील के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी तथा प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल के अनुसार उक्त आराजी का नवीन आराजी नं. 22 रकबा 0.52 हैं0 हैं। वादी के अनुसार देवा पिता उंकार भील लाऔलाद होने से वादी के पिता बदा को गोद पुत्र रखा तब से उक्त आराजी वादी के पिता के समय से उनके कब्जे काश्त में हैं। उक्त भूमि भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा बिलानाम दर्ज की गई जिसकी पुष्टि मिलान क्षैत्रफल एवं जमाबन्दी ग्राम लखनिया संवत् 2056–59 तक से होती हैं। तत्पश्चात उक्त आराजी वादी द्वारा अपने साक्ष्य में जमाबन्दी संवत् 2029–30 ग्राम लखनिया की पुरानी आराजी नं. 107 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा प्रदर्श नं. 1 हैं। मिलान क्षैत्रफल भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा ग्राम लखनिया जमाबन्दी खतोनी ग्राम लखनीया संवत 2056–59 खाता सं. 1 हैं प्रदर्श सं. 3 हैं। नामान्तरण रजिस्टर ग्राम लखनिया नामान्तरण सं. 405 प्रदर्श सं. 4 हैं। संवत् 2068–71 ग्राम लखनिया खाता सं. 93 की व पुराना खाता सं. 249 प्रदर्श सं. 5 हैं0 प्रस्तुत किये गये गवाहो के रूप में लक्ष्मण पिता बदा भील मीणा निवासी भुतिया PW 1 हैं। जीवा पिता कनीराम मीणा निवासी कचनारा PW 2 हैं। नारजी पिता गांगजी मीणा PW 3हैं। आदि के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये एवं गवाहो के बयान दर्ज करवाये गये और साक्ष्य प्रदर्श किये गये। वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकर किया गया। नामान्तरण सं. 405 से प्रतिवादीगण की गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज कर दी गई तथा वर्तमान में खाता सं. 93 ग्राम लखनिया संवत् 2068–71 में प्रतिवादी कमांक 1 व 2 के नाम दर्ज हैं। प्रस्तुत साक्ष्य में वाद ग्रस्त आराजी पूर्व में वादी के दादाजी के बडे भाई देवा पिता उंकार भी के नाम दर्ज होना प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया सेटलमेन्ट की त्रुटि प्रतित होती हैं पुराने आराजी नं. की पुष्टि व नये आराजी नं. की पुष्टि प्रत्रावली में संलग्न मिलान क्षैत्रफल से होती हैं। यह आराजी वर्तमान रिकॉर्ड में प्रतिवादी कमांक 1 व 2 के खाते में दर्ज हैं जो गलत दर्ज हो गई व गवाहो के बयानो एवं दस्तावेजो के आधार पर वादी का वाद डिक्री योग्य पाया जाता हैं।

अतः वादी श्री लक्ष्मण पिता बदा भील मीणा द्वारा प्रस्तुत वाद इस आदेश के साथ डिक्री किया जाता हैं कि मौजा लखनिया के आराजी नं. 22 रकबा 0.52 हैं0 आराजी प्रतिवादी कमांक 1 व 2 के खातेदारी के बजाय वादी श्री लक्ष्मण पिता बदा भील मीणा निवासी भुतिया के खातेदारी में दर्ज जावे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल हो। डिक्री अलग से जारी हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद